प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्य सदन में राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक और आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन का प्रथम अध्याय लेखापरीक्षा की योजना एवं विस्तार, प्रारूप कंडिकाओं एवं वार्षिक प्रतिवेदनों पर विभाग की प्रतिक्रिया एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का सारांश प्रस्तुत करता है। व्दितीय अध्याय चयनित योजनाओं/परियोजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है जबकि तृतीय अध्याय पलामू का जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा पर उठाये गये अवलोकनों से संबंधित है। चतुर्थ अध्याय में पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग की कार्यप्रणाली के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्षो को सम्मिलित किया गया है और अध्याय पाँच में विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

राज्य सरकार, राज्य वित्त से संबंधित अवलोकनों, राजस्व क्षेत्र के इकाईयों से सम्बन्धित अवलोकनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित अवलोकनों को अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले जो वर्ष 2011-12 के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथा जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये थे, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे, वैसे मामले तथा वर्ष 2011-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामले जहाँ आवश्यक है, भी सम्मिलित किये गए हैं।